रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092026-276103
CG-DL-E-10092026-276103

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4680] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 2, 2026/भाद्र 11, 1948
No. 4680] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 2026/BHADRA 11, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2026

का.आ. 4867(अ).— भारत के राजपत्र में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.4442(अ), दिनांक 29 सितंबर 2025 द्वारा असाधारण में एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की दिनांक से साठ दिनों की अवधि के भीतर इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को दिनांक 29 सितंबर 2025 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, केन्द्रीय सरकार की ओर से जारी उक्त प्रारुप अधिसूचना के संबंध में व्यक्तियों और पणधारियों की ओर से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ;

जबकि, करीमपुझा वन्यजीव अभयारण्य उ 11°23'15" से 11°12'43" अक्षांशों और पू 76°22'37" से 76o33'2" देशांतरों की भौगोलिक सीमाओं के मध्य स्थित है और केरल में मलप्पुरम राजस्व जिले के नीलांबुर तालुक में आता है। अभयारण्य का विस्तार 227.97 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें न्यू अमराम्बलम संरक्षित वन (सागौन के बागानों और जनजातीय बस्तियों के सिवाय 211.09 वर्ग किलोमीटर) और वडक्केकोटा मालवरम स्थित वन (16.88 वर्ग किलोमीटर के विस्तार के साथ) के कुछ हिस्से सम्मिलित हैं। अभयारण्य को 17 अगस्त, 2019 के जी.ओ.(पी) संख्यांक 9/2019/एफ एंड डब्ल्यूएलडी के अनुसार अधिसूचित किया गया था और 12 दिसंबर, 2019 के केरल राजपत्र संख्यांक 3078, खंड VIII में एसआरओ संख्यांक 973/2019 के रूप में प्रकाशित किया गया था;

और जबकि, करीमपुझा वन्यजीव अभयारण्य नीलगिरी की पश्चिमी ढलानों पर फैला है, जहां की तलहटी द्वितीयक नम पर्णपाती वनों के बृहद विस्तार से घिरी हुई है, जो ऊपर के सदाबहार वनों को सहारा देते हैं। ये वन क्षेत्र नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के अधीन मान्यता प्राप्त है। यह अभयारण्य अपनी अनूठी भौगोलिक और जैव-भौगोलिक प्राचीनता और विकासवादी इतिहास के कारण पारिस्थितिक महत्व रखता है;

और जबकि, सामान्यतः पश्चिमी घाट और विशेष रूप से नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व के वन विविध वनस्पति और जीव-जंतुओं के घटकों को आश्रय देते हैं, करीमपुझा वन्यजीव अभयारण्य पूर्व में तमिलनाडु के मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और दक्षिण में केरल के साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के साथ सीमाओं को साझा करते हैं। इसलिए, यह एक सतत् संरक्षित क्षेत्र तंत्र के रूप में उपस्थित है, जिससे वन्यजीवों का मुक्त आवागमन सुनिश्चित होता है, संपर्क में सुधार होता है और विभिन्न प्रजातियों के जीन पूल में वृद्धि होती है। यह भू-भाग निचले क्षेत्रों से लेकर ऊंचाई वाले घास के मैदानों तक फैला हुआ है और इसमें छह अलग-अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो केरल में अन्यत्र एक साथ बहुत कम पाए जाते हैं। इनमें दक्षिणी उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, पश्चिमी तट उष्णकटिबंधीय अर्ध-सदाबहार वन, पश्चिमी तट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दक्षिणी उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पहाड़ी वन, दक्षिणी पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन और दक्षिणी पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण घास के मैदान सम्मिलित हैं। अभयारण्य में बहुत सारे सूक्ष्म जलग्रहण क्षेत्र हैं, जो नदियों और नालों के बड़े जाल-तंत्र में बहते हैं, जो आगे चलकर चलियार नदी में मिल जाते हैं, जो केरल की प्रमुख नदी घाटियों में से एक है। कई छोटी नदियाँ और छोटी नदियाँ करीमपुझा के इस वृहद जलग्रहण क्षेत्र में मिलती हैं जो केरल के मलप्पुरम और कोझीकोड जिलों के निवासियों की जीवन रेखा है;

और जबकि, करीमपुझा वन्यजीव अभयारण्य के वन क्षेत्र नीलाम्बुर हाथी रिजर्व का हिस्सा हैं, जो केरल में अधिसूचित चार ऐसे संरक्षणों में से एक है और आस-पास के अनाईकट्टी क्षेत्रों के साथ, नीलाम्बुर हाथी अभ्यारण्य हाथियों की एक अच्छी-खासी आबादी वाला स्थान है। करीमपुझा वन्यजीव अभयारण्य में स्तनधारियों की 26 से ज़्यादा प्रजातियाँ, पक्षियों की 100 प्रजातियाँ, सरीसृपों की 33 प्रजातियाँ और मछलियों की 43 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अकशेरुकी जीवों में, 700 से ज़्यादा कीट प्रजातियाँ पाई जाती हैं। स्थानिक जीवों में स्तनधारियों की दो प्रजातियाँ, पक्षियों की 8 प्रजातियाँ और मछलियों की 20 प्रजातियाँ सम्मिलित हैं। 212 वंशों और 73 कुलों से संबंधित कुल 305 वृक्ष प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं। यहाँ पाई जाने वाली 133 तितली प्रजातियों में से 28 उच्च संरक्षण मूल्य की हैं क्योंकि वे या तो स्थानिक हैं या संरक्षित हैं। करीमपुझा नदी और उसकी सहायक नदियाँ लुप्तप्राय मालाबार महाशीर (टोर मालाबारिकस) की एक स्वस्थ आबादी को पोषित करती हैं। देखी गई अन्य उल्लेखनीय प्रजातियों में स्लेंडर लोरिस, नीलगिरि तहर, बाघ, शेर-पूंछ वाला मकाक और बाइसन सम्मिलित हैं;

और जबकि, करीमपुझा वन्यजीव अभयारण्य *पैंथेरा पार्डस, मैनिस क्रैसिकौडाटा, कुओन अल्पाइनस, बुफो पैरिटेलिस, बुफो मेलानोस्टिक्टस, रामानेला मोंटाना, घाटिक्सालस वेरिएबिलिस, राकोफोरस मालाबारिकस, फालाक्रोकोरैक्स नाइजर, अर्देओला ग्रेई, मिल्वस माइग्रन्स, पेरोपस गिगेंटस, मकाका सिलीनस, मकाका रेडिएटा, मेलर्सस उर्सिनिस, फेलिस बेंगालेंसिस, एलिफस मैक्सिमस, सस स्क्रोफा, बोस गौरस, हिस्ट्रिक्स इंडिका* आदि; जैसी बड़ी संख्या में पशु प्रजातियों को आश्रय देता है;

और जबकि, करीमपुझा वन्यजीव अभयारण्य कई संकटग्रस्त, लुप्तप्राय और स्थानिक प्रजातियों का आवास है, हालांकि उनके बारे में जानकारी अभी भी सीमित है। इस अभयारण्य में उनके संरक्षण पर केंद्रित भावी अनुसंधान की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। करीमपुझा वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र, विस्तार और सीमाओं को संरक्षित और सुरक्षित रखना आवश्यक है, जिन्हें पैरा 1 में पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जैव विविधता के दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और उक्त पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्ग और उनके संचालन और क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध करना अपेक्षित है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (v) और (xiv) तथा उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केरल के करीमपुझा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के आसपास एक पारिस्थितिकी-संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी-संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है, अर्थात्: -

(1) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन शून्य से 3.40 किलोमीटर तक भिन्न- भिन्न होता है, जो अभयारण्य के चारों ओर 44.24 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को सम्मिलित करता है

जिसमें करुलाई वन रेंज, नीलांबुर दक्षिण वन प्रभाग में कलिकावु वन रेंज और नीलांबुर उत्तर वन प्रभाग में वझिक्कदावु वन रेंज के वन क्षेत्र सम्मिलित हैं। इन वन क्षेत्रों का प्रबंधन विभिन्न कार्य योजनाओं और केरल वन अधिनियम, 1961, वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 जैसे विभिन्न अधिनियमों द्वारा किया जाता है। विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा नीचे दी गई है: -

दिशा	**किलोमीटर में विस्तार**
उत्तर	0 से 1 किलोमीटर (मुक्कुर्थी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा)
उत्तर – पूर्व	0 किलोमीटर (मुक्कुर्थी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा)
पूर्व	0 किलोमीटर (मुक्कुर्थी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा)
दक्षिण-पूर्व	0 किलोमीटर (मुक्कुर्थी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा) और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान का बफर जोन)
दक्षिण	0 किलोमीटर (साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान का बफर जोन कि सीमा)
दक्षिण -पश्चिम	0.6 से 1 किलोमीटर साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के बस्तियाँ और बफर ज़ोन की सीमा
पश्चिम	1 to 3.20 किलोमीटर
उत्तर -पश्चिम	1 to 1.20 किलोमीटर

संरक्षित क्षेत्र की विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी -संवेदी जोन की 0 किलोमीटर सीमा का औचित्य: तमिलनाडु में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, केरल में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और तमिलनाडु के साथ अंतरराज्यीय सीमा जैसे अन्य संरक्षित क्षेत्रों से स होने के कारण पारिस्थितिकी -संवेदी जोन कुछ दिशाओं में शून्य है।

(2) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध**-I के रूप में संलग्न है।

(3) करीमपुझा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के मानचित्र **उपाबंध- II क, II ख** और **II ग** के रूप में संलग्न हैं।

(4) करीमपुझा वन्यजीव अभयारण्य और उसके पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक, जिनका उल्लेख सारणी क और ख में किया गया है, **उपाबंध-III** पर संलग्न हैं।

(5) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में आने वाले चार गांवों की सूची **उपाबंध-IV** पर संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी.-

(i.) पर्यावरण;

(ii.) वन और वन्यजीव;

(iii.) स्थानीय स्वशासन विभाग;

(iv.) कृषि;

(v.) राजस्व;

(vi.) शहरी विकास;

(vii.) पर्यटन;

(viii.) ग्रामीण विकास;

(ix.) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(x.) नगर पालिका;

(xi.) पंचायती राज;

(xii.) लोक निर्माण विभाग;

(xiii.) केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(4) जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में तब तक विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं किया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना की सभी अवसंरचनाओं और उसके क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जल-ग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की अपेक्षाओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं का उपबंध किया जाएगा, जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है ।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, उद्यानों और उद्यानों जैसे के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों को सहायक मानचित्रों के साथ जिनमें विद्यमान तथा प्रस्तावित भू-उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों के साथ सीमांकन किया जाएगा।

(7) इस आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के विकास का विनियमित किया जायेगा और पैरा 4 की सारणी में दिये गये निषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन किया जाएगा और स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित किया जाएगा और उसे बढ़ावा दिया जायेगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आंचलिक महायोजना मॉनीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

(10) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना तैयार होने तक, सभी नए निर्माण और अन्य विकासात्मक क्रियाकलापों को मॉनीटरी समिति को भेजा जाएगा।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय. - राज्य सरकार अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्: -

(1) भू-उपयोग. – (क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन की अनुमति नहीं होगी:

परंतु भाग (क) में विनिर्दिष्ट उद्देश्य के सिवाय किसी अन्य उद्देश्य के लिए पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि के उपयोग में लाने की अनुमति, मॉनीटरी समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम तथा केन्द्रीय या राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन सक्षम

अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, जैसा कि लागू हो, स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय अपेक्षाओं और क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुमति दी जा सकेगी, जैसे,-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें मजबूत करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) आधिकारिक ढांचों और नागरिक सुविधाओं का सन्निर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग और ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

(v) पैरा-4 के मद में यथा उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापः

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के अधीन आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मॉनीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में दिए गए उपाबंध के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा:

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- सभी प्राकृतिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

(3) पर्यटन और पारिस्थितिकी पर्यटन. – (क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी-संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत होगा।

(ख) पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(ii) जब तक आंचलिक महायोजना के अनुमोदन नहीं मिल जाता, तब तक पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को स्थल-विशिष्ट संवीक्षा और मॉनीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा।

(4) प्राकृतिक विरासत. – पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के अधीन आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन तथा समय-समय पर यथासंशोधित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 और इसके उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण. -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के उपबंधों और समय-समय पर यथासंशोधित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण. -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के उपबंधों और समय-समय पर यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(9) ठोस अपशिष्ट. - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा--

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और समय-समय पर यथा संशोधित नियमों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक सामग्री का निपटान पर्यावरणीय अनुकूल रीति से अभिज्ञात स्थल पर पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (इएसएम) की अनुमति दी जा सकती है।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट. - जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, समय -समय पर यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन की अनुमति दी जा सकती है।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन. – पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन समय -समय पर यथा संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन समय -समय पर यथा संशोधित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित और समय -समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

14. वाहन यातायात .- वाहन यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मॉनीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार वाहन यातायात के अनुपालन की मॉनीटरी करेगी।

(15) वाहन प्रदूषण.- वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू कानूनों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छ ईंधन जैसे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) औद्योगिक ईकाइयां. - (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात् पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण. - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची-

पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा पर्यावरण, वन और वन्य जीवन से संबंधित भारत सरकार के अन्य अधिसूचनाओं, विधियों और अधिनियमों, पूर्व पर्यावरण और वन मंत्रालय, अधिसूचना संख्या 1533(अ), दिनांक 14 सितंबर, 2006 और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से और समय-समय पर यथा संशोधित विधियों के उपबंधों द्वारा विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टिप्पणी**
		क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
1	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयाँ ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर घरों के निर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी खोदने सहित स्थानीय निवासियों की घरेलू जरूरतों को पूरा करने को छोड़कर, सभी नए और मौजूदा खनन (लघु और प्रमुख खनिज), पत्थर उत्खनन और उनके तोड़ने की इकाइयों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिसिद्ध किया गया है; (ख) खनन कार्य माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ, रिट याचिका (सिविल) सं. 202/1995 के मामले में दिनांक 4 अगस्त, 2006 को पारित आदेश/आदेशों; गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ, रिट याचिका (सिविल) सं. 435/2012 के मामले में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 को परित आदेश; आईए संख्या 1000/2003 दिनांक 3 जून, 2022 को पारित आदेश; आईए संख्या 131377/2022 में दिनांक 26 अप्रैल, 2023 तथा 28 अप्रैल, 2023 को दिए गए निर्णयों; तथा आई. ए. सं. 162023, 162034, 162154 और 162155/2025 में दिनांक 23 जुलाई, 2025 को दिए गए पश्चातवर्ती निर्णय अथवा खनन के संबंध में पारित किसी अन्य भावी आदेश/आदेशों के अनुरूप किए जाएंगें।
2	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) पैदा करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और मौजूदा प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगीः परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जा सकेगा और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	निषेध ।
4	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	निषेध ।

5	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सरण ।	निषेध ।
6	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल की स्थापना तथा ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य भस्मीकरण सुविधा की स्थापना।	पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर किसी भी ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस अपशिष्ट के उपचार या प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं है। औद्योगिक क्रियाकलाप और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान या अस्पताल आदि से उत्पन्न किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भस्मीकरण सुविधा की स्थापना निषेध है।
7	फर्मों, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	निषेध;
8	पर्यटन से संबंधित अन्य कार्यकलाप जैसे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ऊपर हॉट एयर बलून, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स, आदि का उड़ान भरना।	निषेध; परंतु, वन और वन्यजीव विभाग गैर-व्यावसायिक उद्देश्य के लिए वृत्तचित्र बनाकर वन, पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण पर जागरूकता पैदा करने के लिए ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं।
9	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर नई और मौजूदा आरा मीलों के विस्तार की अनुमति नहीं होगी।
10	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	निषेध।
		ख.विनियमित क्रियाकलाप
11	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु व अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए होटलों, रिसोर्टों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना की अनुमति नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से आगे या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटतम हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या मौजूदा क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन मास्टर योजना और लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
12	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के दायरे में या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटतम हो, किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी: परंतुक कि, स्थानीय लोगों को स्थानीय निवासियों की आवासीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भवन उप-नियमों के अनुसार पैरा 3 के उप-पैरा (1) में उल्लेख किए गए क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि पर निर्माण कार्य करने की अनुमति दी जा सकेगी: परंतु यह कि प्रदूषण न फैलाने वाले लघु उद्योगों से संबंधित निर्माण संबंधी क्रियाकलापों को प्रयोज्य नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार तथा सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेकर विनियमित

		किया जाएगा और न्यूनतम ही रखा जाएगा। (ख) एक किलोमीटर के दायरे से आगे इसे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
13	लघु पैमाने के गैर- प्रदूषणकारी उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को, समय-समय पर यथा संशोधित, राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अनुमति दी जाएगी।
14	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी, राजस्व या निजी भूमि पर से वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई को संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
15	वन उत्पाद या काष्ठेतर वन उत्पाद का संग्रहण(एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
16	विद्युत और संचार टावरों का निर्माण तथा केबल बिछाना और अन्य अवसंरचनाएं।	लागू विधियों के अधीन विनियमित (भूमिगत केबलिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है)।
17	नागरिक सुविधाओं सहित अवसंरचना।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा अन्य उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शमन के उपाय करना।
18	मौजूदा सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण तथा नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा अन्य उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उचित पर्यावरण प्रभाव आकलन उपशमन के उपाय करना।
19	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
20	रात के समय वाहनों का आवागमन।	लागू विधियों के अधीन व्यावसायिक प्रयोजनार्थ विनियमित।
21	स्थानीय समुदायों द्वारा डेयरी, डेयरी फार्मिंग, जलीय कृषि और मत्स्य पालन के साथ-साथ की जा रही कृषि और बागवानी कार्य प्रथाएँ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के उद्देश्य से लागू विधियों के अधीन अनुमति दी गई है।
22	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या अपशिष्टों का निर्वहन।	उपचारित अपशिष्ट जल या अपशिष्टों को जल निकायों में जाने से रोका जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा, अनुपचारित अपशिष्ट जल या अपशिष्टों के निर्वहन को लागू विधियों के अधीन विनियमित किया जाएगा।
23	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
24	कृषि या अन्य उपयोग के लिए	लागू विधियों के अधीन विनियमित और सक्षम प्राधिकरण द्वारा इस

	खुला कुआँ, बोरवेल आदि।	क्रियाकलाप की सख्ती से मॉनीटरी की जानी चाहिए।
25	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
26	विदेशी प्रजातियों का समावेशन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
27	पारिस्थितिकी-पर्यटन	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
28	पॉलीथिन बैग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित, जहां कैरी बैग की मोटाई 120 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए और नॉनवोवन प्लास्टिक कैरी बैग 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) से कम नहीं होगा।
29	व्यावसायिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
30	जल संग्रहण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32	सभी कार्यकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33	कुटीर उद्योग जिसमें ग्रामीण कारीगर आदि सम्मिलित हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायो-गैस, सौर प्रकाश आदि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35	कृषिवानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36	बागवानी और औषधीय पौधों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38	कौशल विकास	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39	अवक्रमित भूमि,वन,पर्यावास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40	पर्यावरण जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मॉनीटरी समिति- केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपाबंधों की प्रभावी मॉनीटरी के लिए एक मॉनीटरी समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्: -

क्र.सं.	**मॉनीटरी समिति का गठन**	**पद**
1.	जिला कलेक्टर, मलप्पुरम	अध्यक्ष, पदेन;
2.	जिला पंचायत अध्यक्ष, मलप्पुरम	सदस्य, पदेन;
3.	पर्यावरण या वन्यजीव (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जिसे केरल राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामित किया जाएगा।	सदस्य;
4.	प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी और पर्यावरण या वानिकी के	सदस्य;

	क्षेत्र में एक विशेषज्ञ, जिसे केरल राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामित किया जाएगा।	
5.	राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य	सदस्य, पदेन;
6.	केरल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन; और
7.	प्रभागीय वन अधिकारी, नीलांबुर दक्षिण प्रभाग और वन्यजीव संरक्षक, करीमपुझा वन्यजीव अभयारण्य।	सदस्यसचिव-, पदेन।

6. मॉनीटरी समिति के कार्य: -(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन-में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मॉनीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(2) जो क्रियाकलाप भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में न आती हों और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में की जा रही हों, इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की संवीक्षा मॉनीटरी समिति द्वारा वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर की जाएंगी और उससे संबंधित नियामक प्राधिकरणों को संदर्भित किया जाएगा।

(3) मॉनीटरी समिति के सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध शिकायत दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(4) मॉनीटरी समिति संबंधित विभागों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या पणधारियों को, प्रत्येक मामले मे अपेक्षा के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकती है।

(5) मॉनीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक को, संलग्न **उपाबंध-V** में विनिर्दिष्ट प्ररूप के अनुसारजून तक 30 उस वर्ष , प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मॉनीटरी समिति को उसके कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए जैसा उचित समझे निदेश दे सकता है।

7. अतिरिक्त उपाय. - इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि कोई हो तो, अतिरिक्त उपाय विनिर्दिष्ट कर सकता है।

8. उच्चतम न्यायालय, आदेश आदि. - इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

उपाबंध-I

करीमपुझा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

दिशा	सीमा विवरण
उत्तर	उत्तरी भाग का पारिस्थितिकी संवेदी जोन, पारिस्थितिकी संवेदी जोन 14 (11°23'32.06"उ, 76°22'25.84"पू) बिंदु से शुरू होता है, जो नेल्लीकुथ वन स्टेशन के ग्वालियर रेयोन्स निहित वन में एक बिंदु है, वहां से दक्षिण-पूर्व की ओर चलती है, पुन्नप्पुझा नदी को पार करती है और अंत में पुंचकोल्ली मालवरम में प्रवेश करती है और बिंदु पारिस्थितिकी संवेदी जोन 15 (11°23'10.49"उ, 76°23'30.39"पू) से मिलती है, पारिस्थितिकी संवेदी जोन 15 से दक्षिण-पूर्व की ओर बिंदु पारिस्थितिकी संवेदी जोन 16 (11°22'26.82"उ, 76°24'25.78"पू) तक चलती है, वहां से उत्तर-पूर्व दिशा की ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन 17 (11°23'21.14"उ, 76°25'56.58"पू) बिंदु तक, फिर पूर्व की ओर बढ़ते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन 18 (11°23'14.13"उ, 76°26'40.80"पू) बिंदु तक पहुंचें, वहां से उत्तर-पूर्व की ओर मुड़कर पारिस्थितिकी संवेदी जोन 19 (11°23'37.28"उ, 76°27'14.27"पू) बिंदु पर पहुंचता है, जो तमिलनाडु के साथ अंतरराज्यीय सीमा पर, वैपशेयर पीक के पास स्थित एक बिंदु है।
पूर्व	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पूर्वी सीमा बिंदु पारिस्थितिकी संवेदी जोन 19 (11°23'37.28"उ, 76°27'14.27"पू) से शुरू होती है, जो अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है और अंतरराज्यीय सीमा के साथ दक्षिण-पूर्व की ओर चलती है और वैपशेयर पीक पर संरक्षित क्षेत्र सीमा से जुड़ती है। करीमपुझा वन्यजीव अभयारण्य का शेष पूर्वी भाग तमिलनाडु के मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है, इसलिए कोई पारिस्थितिकी संवेदी जोन प्रस्तावित नहीं है।
दक्षिण	दक्षिणी सीमा उस बिंदु से शुरू होती है जहां करिम्पुझा डब्ल्यूएलएस, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और करुवरकुंडु वन स्टेशन के कोट्टाचोक्कडन मालावरम एक साथ मिलते हैं और वडक्केकोटा मालावरम की दक्षिणी सीमा के साथ उत्तर-पश्चिम की ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन 1 (11°14'17.28"एन, 76°23'10.56"ई) बिंदु तक चलती है। करीमपुझा वन्यजीव अभयारण्य का शेष दक्षिणी भाग साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है, इसलिए कोई पारिस्थितिकी संवेदी जोन प्रस्तावित नहीं है।
पश्चिम	पश्चिमी सीमा पारिस्थितिकी संवेदी जोन 1 (11°14'17.28"एन, 76°23'10.56"ई) बिंदु से शुरू होती है, जो चक्किकुझी वन स्टेशन के वडक्केकोटा मलावरम और पुझुथुट्टी मालवरम के माध्यम से उत्तर-पूर्व की ओर चलती है, फिर चेरुपुझा नदी को पार करती है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन 2 (11°15'17.61"उ, 76°24'50.35"पू) बिंदु तक पहुँचने के लिए चक्कीकुझी वन स्टेशन के चक्कीकुझी मालवरम में प्रवेश करता है, वहां से यह उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन 3 (11°16'11.28" उत्तर, 76°23'59.18" पूर्व) बिंदु से होकर गुजरती है, जो चेरुपुझा नदी पर स्थित है, फिर चेरुपुझा को पार करते हुए सीमा पारिस्थितिकी संवेदी जोन 4 (11°16'40.57" उत्तर, 76°23'2.26" पूर्व) बिंदु तक पहुंचती है, जो पुझुथुट्टी मालवरम पर स्थित है, वहां से यह नदी एझुथुकल्लू के पास चेरुपुझा नदी को पार करके सीधे उत्तर की ओर जाती है और नेदुमगयम वन स्टेशन के करीमपुझा रिजर्व में प्रवेश कर प्वाइंट पारिस्थितिकी संवेदी जोन 5 (11°17'45.59"उ, 76°23'3.98"पू) तक पहुंचती है, फिर उत्तर-पूर्व और पूर्वी दिशा की ओर बढ़ते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन 6 (11°17'52.82"उ, 76°23'51.16"पू) बिंदु तक पहुँचता है, पारिस्थितिकी संवेदी जोन 6 से उत्तर की ओर बढ़ता है, मूचाला के पास करिमपुझा नदी को पार करता है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन 7 (11°18'41.57"उ, 76°24'1.50"पू) बिंदु तक पहुँचता है, पडुक्का वन स्टेशन के करिमपुझा रिजर्व में स्थित एक बिंदु, फिर पारिस्थितिकी संवेदी जोन 8 (11°19'8.56"उ, 76°23'19.63"पू) बिंदु से उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर जाता है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन 9 (11°19'47.47"उ, 76°22'38.81"पू) बिंदु तक पहुँचता है, वहां से उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए बिंदु पारिस्थितिकी संवेदी जोन 10 (11°20'15.87"उ, 76°22'43.45"पू) तक पहुंचें और फिर से उत्तर-पश्चिम की ओर मुड़कर बिंदु पारिस्थितिकी संवेदी जोन 11

	(11°20'53.76"उ, 76°22'23.16"पू) तक पहुंचें, वहां से पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा उत्तर-पूर्व की ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन 12 (11°21'43.78"उ, 76°22'38.59"पू) बिंदु तक आगे बढ़ रही है, फिर उत्तर-पश्चिम की ओर मुड़कर पुन्नप्पुझा नदी को पार करके पारिस्थितिकी संवेदी जोन 13 (11°22'48.14"उ, 76°22'4.72"पू) बिंदु तक पहुंचती है, एक बिंदु जो नेल्लीकुथ रिजर्व और नेल्लीकुथ वन स्टेशन के ग्वालियर रेयॉन्स निहित वन की सीमा में है, वहां से ग्वालियर रेयॉन्स निहित वन के माध्यम से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ता है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन 14 (11°23'32.06"उ, 76°22'25.84"पू) बिंदु तक पहुंचता है।

उपाबंध-IIक

करीमपुझा वन्यजीव अभयारण्य और उसके पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का टोपोशीट मानचित्र

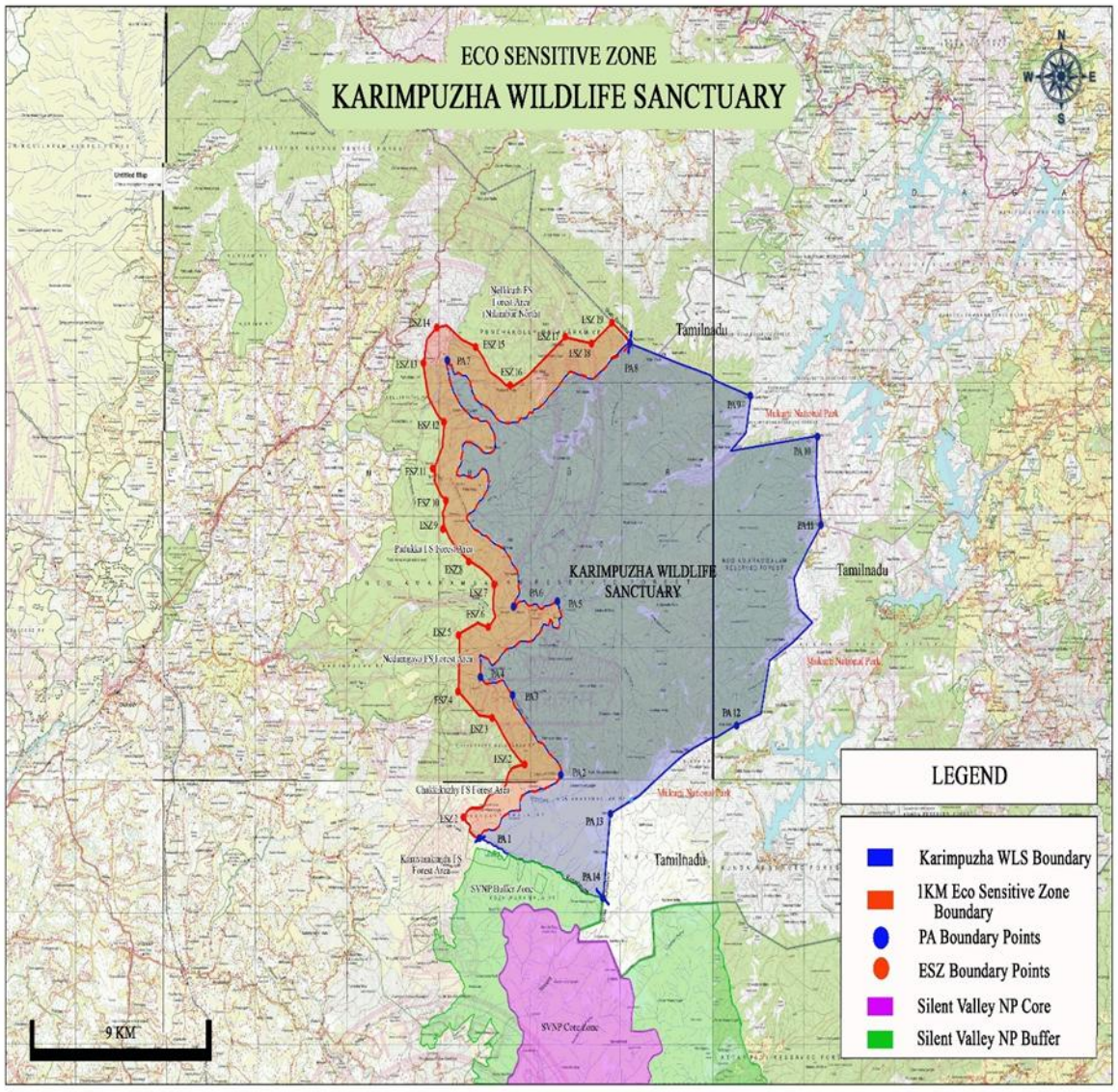

उपाबंध-IIख

करीमपुझा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

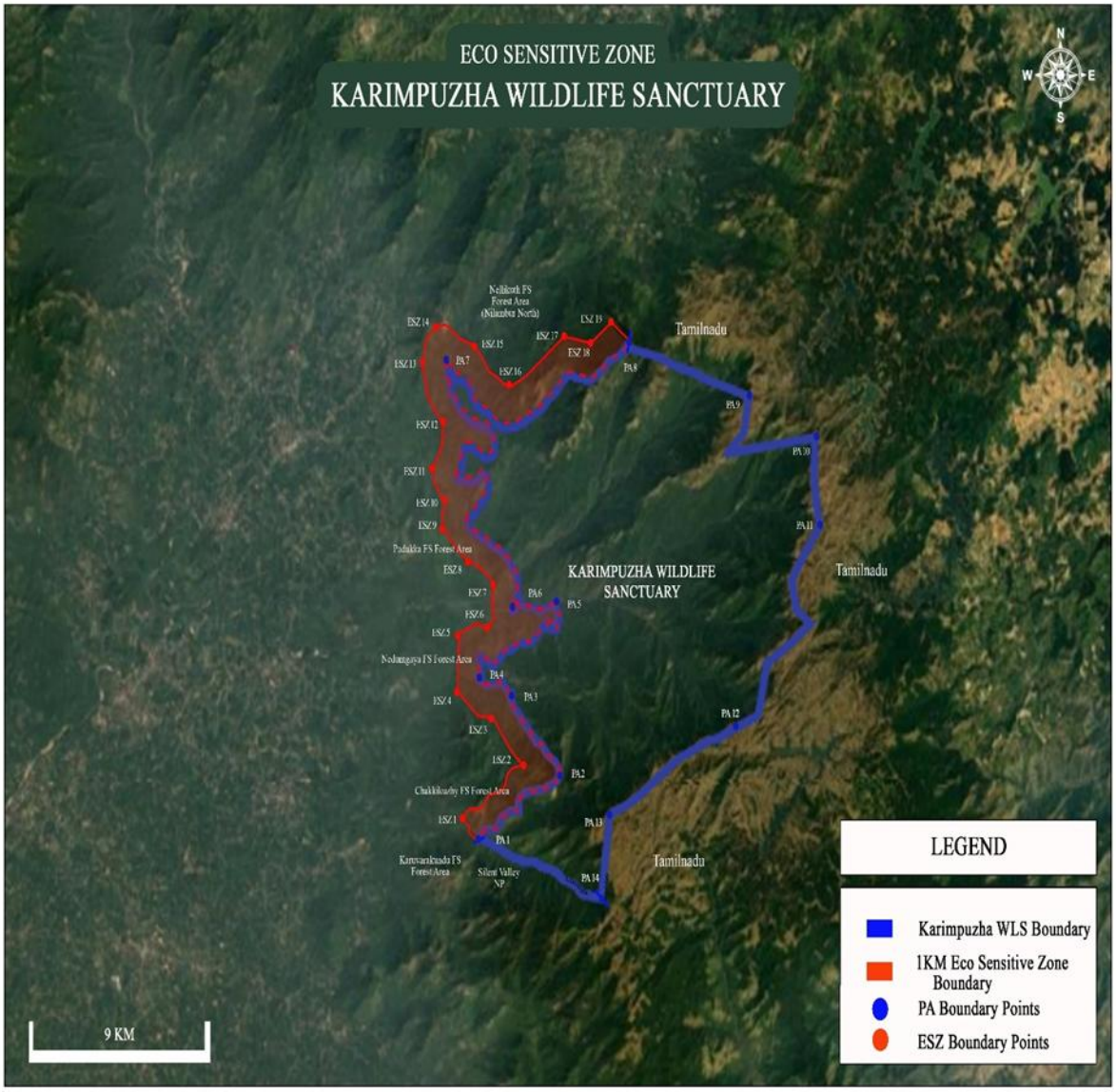

उपाबंध-IIग

करीमपुझा वन्यजीव अभयारण्य और उसके पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का भू-निर्देशांक सहित टोपोशीट मानचित्र

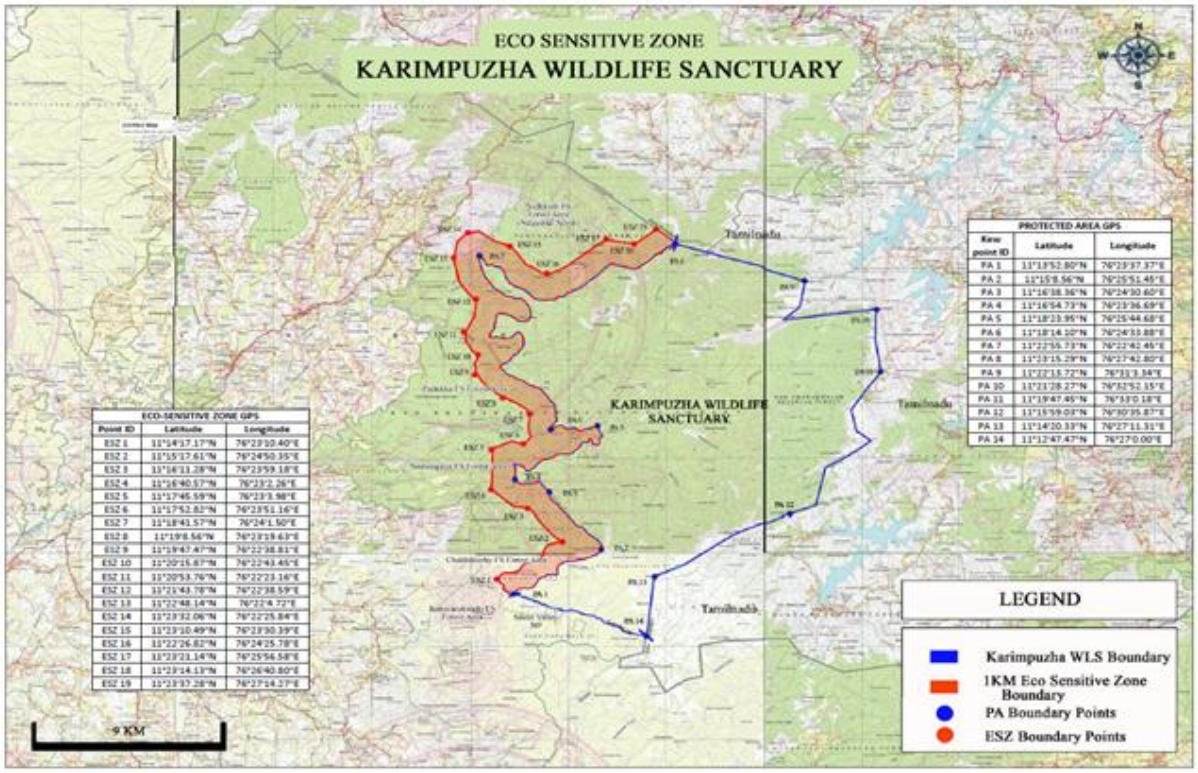

उपाबंध-III

सारणी क. करीमपुझा वन्यजीव अभयारण्य के भू-निर्देशांक

संकेत बिंदु आईडी	अक्षांश	देशांतर
पीए1	11°13'53.72"उ	76°23'37.23"पू
पीए 2	11°15'8.56"उ	76°25'51.45"पू
पीए3	11°16'38.36"उ	76°24'30.60"पू
पीए 4	11°16'54.73"उ	76°23'36.69"पू
पीए 5	11°18'23.95"उ	76°25'44.68"पू
पीए 6	11°18'14.10"उ	76°24'33.88"पू
पीए 7	11°22'55.73"उ	76°22'42.45"पू
पीए 8	11°23'15.29"उ	76°27'42.80"पू
पीए 9	11°22'13.72"उ	76°31'3.34"पू
पीए 10	11°21'28.27"उ	76°32'52.15"पू
पीए 11	11°19'47.45"उ	76°33'0.18"पू
पीए 12	11°15'59.03"उ	76°30'35.87"पू
पीए 13	11°14'20.33"उ	76°27'11.31"पू
पीए 14	11°12'47.47"उ	76°27'0.00"पू

सारणी ख. पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के भू-निर्देशांक

संकेत बिंदु आईडी	अक्षांश	देशांतर
ईएसजेड 1	11°14'17.28"उ	76°23'10.56"पू
ईएसजेड 2	11°15'17.61"उ	76°24'50.35"पू
ईएसजेड 3	11°16'11.28"उ	76°23'59.18"पू
ईएसजेड 4	11°16'40.57"उ	76°23'2.26"पू
ईएसजेड 5	11°17'45.59"उ	76°23'3.98"पू
ईएसजेड 6	11°17'52.82"उ	76°23'51.16"पू
ईएसजेड 7	11°18'41.57"उ	76°24'1.50"पू
ईएसजेड 8	11°19'8.56"उ	76°23'19.63"पू
ईएसजेड 9	11°19'47.47"उ	76°22'38.81"पू
ईएसजेड 10	11°20'15.87"उ	76°22'43.45"पू
ईएसजेड 11	11°20'53.76"उ	76°22'23.16"पू
ईएसजेड 12	11°21'43.78"उ	76°22'38.59"पू
ईएसजेड 13	11°22'48.14"उ	76°22'4.72"पू
ईएसजेड 14	11°23'32.06"उ	76°22'25.84"पू

ईएसजेड 15	11°23'10.49"उ	76°23'30.39"पू
ईएसजेड 16	11°22'26.82"उ	76°24'25.78"पू
ईएसजेड 17	11°23'21.14"उ	76°25'56.58"पू
ईएसजेड 18	11°23'14.13"उ	76°26'40.80"पू
ईएसजेड 19	11°23'37.28"उ	76°27'14.27"पू

उपाबंध-IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर आने वाले गांवों की सूची भू-निर्देशांक सहित

क्र.स.	गाँव के नाम	गाँव के प्रकार	तहसील / तालुक	जिला	जीपीएस-निर्देशांक	
					देशांतर	अक्षांश
1	वाज़िकादाव	वाज़िकादाव	निलाम्बुर	मलप्पुरम	76°23'34.75"पू	11°23'34.75"उ
2	मुथेदाम	मुथेदाम	निलाम्बुर	मलप्पुरम	76°22'21.77"पू	11°19'56.08"उ
3	करुलाई	करुलाई	निलाम्बुर	मलप्पुरम	76°22'47.63"पू	11°17'31.97"उ
4	अमरम्बलम	अमरम्बलम	निलाम्बुर	मलप्पुरम	76°23'28.04"पू	11°15'42.12"उ

उपाबंध-V

कार्रवाई की गई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्ररूप . -

1. बैठकों की संख्या और दिनांक।

2. बैठकों का कार्यवृत: कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में संलग्नक में प्रस्तुत करें।

3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।

4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।

5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

[फा. सं. 25/03/2025-ईएसजेड]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2026

S.O. 4867(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* number S.O. 4442(E), dated the 29th September, 2025, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 29th September, 2025;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification by the Central Government;

WHEREAS, the Karimpuzha Wildlife Sanctuary is located between the geographical limits of N 11°23’15’’to 11°12’43’’ latitudes and E 76°22’37’’ to 76º33’2’’ longitudes and falls in the Nilambur Taluk of Malappuram Revenue District in Kerala. The extent of the Sanctuary is 227.97 square kilometers consisting of parts of New Amarambalam reserved forest (211.09 square kilometers excluding the teak plantations and tribal hamlets) and the Vadakkekkota Malavaram vested forest (with an extent of 16.88 square kilometers). The Sanctuary was notified as per G.O (P) No.9/2019/F&WLD dated the 17th August, 2019 and published as S.R.O. no. 973/2019 in the Kerala Gazette No. 3078, Volume VIII, dated the 12th December, 2019;

AND WHEREAS, Karimpuzha Wildlife Sanctuary lies on the western slopes of the Nilgiris, where the foothills are buffered by extensive stretches of secondary moist deciduous forests supporting the evergreen forests above. These forest areas form an important part of the Nilgiri Biosphere Reserve, recognized under United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization’s Man and Biosphere Programme. The sanctuary holds ecological significance due to its unique geographic and biogeographic antiquity and evolutionary history;

AND WHEREAS the forests harbour diverse floristic and faunal components of Western Ghats in general and the Nilgiri Biosphere Reserve in particular Karimpuzha Wildlife Sanctuary shares boundaries with Mukurthi National Park of Tamil Nadu in eastern side and Silent Valley National Park, Kerala on southern side. Hence, it acts as a continuous protected area network, ensuring free movement of wildlife, improving the connectivity and enhances the gene pool of various species. The terrain ranges from lowland regions to high-altitude grasslands and supports six distinct forest types, which are rarely found together elsewhere in Kerala. These include Southern tropical moist deciduous forests, West coast tropical semi-evergreen forests, West coast tropical evergreen forests, Southern subtropical broad-leaved hill forests, Southern montane wet temperate forests, and Southern montane wet temperate grasslands. The Sanctuary is blessed with a lot of micro watersheds that drain to large network of rivers and streams which in turn drains out to Chaliyar River, one of the major river basins in Kerala. Many small rivers and rivulets drain into this macro watershed of Karimpuzha that forms the lifeline of the inhabitants of Malappuram and Kozhikkode Districts in Kerala;

AND WHEREAS, the forest areas of Karimpuzha Wildlife Sanctuary form part of the Nilambur Elephant Reserve, one of four such reserves is notified in Kerala and Together with the adjoining Anaikkatti areas, Nilambur Elephant Reserve supports a viable elephant population. Karimpuzha Wildlife Sanctuary hosts more than 26 species of mammals, 100 species of birds, 33 species of reptiles, and 43 species of fishes. Among invertebrates, more than 700 insect species are reported. Endemic fauna includes two species of mammals, 8 species of birds, and 20 species of fish. A total of 305 tree species, belonging to 212 genera and 73 families, have been recorded. Out of the 133 butterfly species found here, 28 are of high conservation value as they are either endemic or protected. The Karimpuzha River and its tributaries sustain a healthy population of the endangered Malabar Mahseer (*Tor malabaricus*). Other notable species sighted include the Slender Loris, Nilgiri Tahr, Tiger, Lion-tailed Macaque and Bison;

AND WHEREAS, the Karimpuzha Wildlife Sanctuary supports a good number of faunal species like *Panthera pardus, Manis crassicaudata, Cuon alpinus, Bufo parietalis, Bufo melanostictus, Ramanella montana, Ghatixalus variabilis, Rhacophorus malabaricus, Phalacrocorax niger, Ardeola grayii, Milvus migrans, Pteropus giganteus, Macaca silenus, Macaca radiata, Melursus ursinis, Felis bengalensis, Elephas maximus, Sus scrofa, Bos gaurus, Hystrix indica* etc.*;*

AND WHEREAS, Karimpuzha Wildlife Sanctuary is home to many threatened, endangered, and endemic species, though knowledge about them remains limited. The sanctuary holds significant potential for future research focused on their conservation. It is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Karimpuzha Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-Sensitive Zone from ecological,

environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (l) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an Eco-Sensitive Zone around the boundary of Karimpuzha Wildlife Sanctuary of Kerala (herein after referred to as the Eco-Sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of the Eco-Sensitive Zone.–** (1) The Eco-Sensitive Zone varies from zero to 3.40 kilometer, encompassing an area of 44.24 square kilometers around the Sanctuary which includes forest areas of Karulai Forest Range, Kalikavu Forest Range in Nilambur South Forest Division and Vazhikkadavu Forest Range in Nilambur North Forest Division. These forest areas are managed by various working plans and various acts like Kerala Forest Act, 1961, Wild Life (Protection) Act, 1972 (Act No.). The extent of Eco-Sensitive Zone in different directions is given below: -

Direction	Extent in Kilometer
North	0 to 1 kilometer (boundary of Mukkurthy National Park)
North-East	0 kilometer (boundary of Mukkurthy National Park)
East	0 kilometer (boundary of Mukkurthy National Park)
South-East	0 kilometer (boundary of Mukkurthy National Park and buffer zone of Silent valley National Park)
South	0 kilometer (boundary of buffer zone of Silent valley National Park)
South-West	0.6 to 1 kilometer (habitations and boundary of buffer zone of Silent valley National Park)
West	1 to 3.20 kilometer
North-West	2 to 1.20 kilometer

Justification for 0-kilometer extent of Eco-Sensitive Zone in different directions of the protected area: The Eco-Sensitive Zone is zero in some directions due to its adjacency with other protected areas such as Mukurthi National Park in Tamil Nadu, Silent Valley National Park in Kerala, and the interstate boundary with Tamil Nadu.

(2) The boundary description of the Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure- I.**

(3) The Maps of the Karimpuzha Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure- II A, II B and II C.**

(4) The geo-coordinates of the prominent locations of Karimpuzha Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone mentioned at Table A and B is appended as **Annexure-III.**

(5) The list of four villages falling in Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone.–

(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and in conformity to the provisions of this notification.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in accordance with the provisions of this notification and in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan: -

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Local Self Government Department;

(iv) Agriculture;

(v) Revenue;

(vi) Urban Development;

(vii) Tourism;

(viii) Rural Development;

(ix) Irrigation and Flood Control;

(x) Municipality;

(xi) Panchayati Raj;

(xii) Public Works Department;

(xiii) Kerala State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure, and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, green area, such as, parks and it's like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and ensure and promote eco-friendly development for security of local community's livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

(10) Until the preparation of the Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone, all new construction and other developmental activities shall be referred to the Monitoring Committee.

3. Measures to be taken by the State Government.– The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-Sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central or State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

i. widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

ii. construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

iii. small scale industries not causing pollution;

iv. cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

v. promoted activities and given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007);

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of the said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

i. Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.– The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.– (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone;

(b) the Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with the Departments of Environment and Forests of the State Government;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-Sensitive Zone;

(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely: -

i. all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

ii. until the Zonal Master Plan is prepared and approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the regulatory authorities concerned based on the actual site-specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) Natural heritage.– All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.– Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.– Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 and as amended from time to time.

(7) Air pollution.– Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and as amended from time to time.

(8) Discharge of effluents.– The discharge of treated effluent in the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and as amended from time to time.

(9) Solid wastes.– Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

a. The solid waste disposal and management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and as amended from time to time. The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-Sensitive Zone.

b. Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone

(10) Bio-medical waste.– Bio-medical waste management shall be as under:

a) The bio-medical waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 and as amended from time to time.

b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.– The Plastic Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 and as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.– The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 and as amended from time to time.

(13) Electronic waste. – The E-Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.– Prevention and control of vehicular pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel such as **Liquefied Petroleum Gas,** Compressed **Natural Gas**, etc.

(16) Industrial units.–

a) no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-Sensitive Zone on or after the publication of this notification in the Official Gazette,

b) only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-Sensitive Zone as per classification of industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.– The protection of hill slopes shall be as under:

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-Sensitive Zone.– All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under and other notifications, laws and acts of the Government of India pertaining to environment, forests and wildlife, in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* Notification number 1533(E), dated the 14th September, 2006 and laws for the time being in force in the manner and as amended from time to time specified in the table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of

S No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		houses within Eco-Sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order(s) of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in W.P.(C) No.202 of 1995; dated the 21st April, 2014; in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012; and IA No. 1000 of 2003 dated the 03rd June, 2022; IA No. 131377 of 2022, judgment dated the 26th April, 2023 and the 28th April, 2023 and subsequent Judgment dated the 23rd July 2025 in I.A Nos. 162023, 162034, 162154 and 162155 of 2025 or any further orders regarding mining.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use, production, or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Establishment of Solid Waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No solid waste disposal site and waste treatment or processing facility of solid waste is permitted within Eco-Sensitive zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment or hospital etc. is prohibited.
7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited.
8.	Under taking other activities related to tourism like flying over the protected area and its Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, and other aircrafts etc.	Prohibited. Provided that, the Forest and Wildlife Departments may use drone for creating awareness on forest, environment and wildlife conservation by making documentaries for non-commercial purpose.
9.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-Sensitive Zone.
10.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
	B. Regulated Activities	
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-Sensitive Zone

S No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or up to the extent of the Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that, the construction activity related to small-scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any: (b) Beyond one kilometre, it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Small-scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, as amended from time to time shall be permitted by the approval of competent authority in the State.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
15.	Collection of forest produce or non-timber forest produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law (Underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per the applicable laws, rules, regulations and other available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation with proper Environment Impact Assessment, as per applicable laws, rules and regulation and other available guidelines.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water and effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise, the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and	Regulated under applicable law.

S No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	ground water.	
24.	Open well, bore well etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable law and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Solid waste management.	Regulated under applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated under applicable law.
28.	Use of polythene bags.	Regulated as per applicable laws, where the thickness of the carry bag should not be less than 120 microns and nonwoven plastic carry bag shall not be less than 60 gram per square meter (GSM).
29.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
	C. Promoted Activities	
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
35.	Agroforestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land, forests, habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.– The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	The District Collector, Malappuram	Chairman, *ex-officio;*
2.	President of District Panchayat, Malappuram	Member, *ex officio;*
3.	One representative of a non-governmental organisation working in the field of environment or wildlife (including heritage conservation) to be nominated by the Kerala State Government from time to time every three years	Member;
4.	One expert in the area of ecology and environment from a reputed institution or university in the State to be nominated by the Kerala State Government from time to time every three years	Member;
5.	Member of the State Biodiversity Board	Member, *ex officio;*
6.	A representative of Kerala Pollution Control Board	Member, *ex officio;* and
7.	The Divisional Forest Officer, Nilambur South Division and Wildlife	Member Secretary,

	Warden, Karimpuzha Wildlife Sanctuary	*ex officio.*

6. Functions of the Monitoring Committee.– (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the state as per proforma appended at **Annexure V**.

(6) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.– The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders.– The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

Annexure- I

Boundary description of the Eco-Sensitive Zone around Karimpuzha Wildlife Sanctuary

Direction	Boundary descriptions
North	The Eco-Sensitive Zone of Northern side starts from point Eco-Sensitive Zone 14 (11°23'32.06"N, 76°22'25.84"E), a point in Gwaliyor Rayons vested forest of Nellikuth Forest Station, thence runs towards South-East, crosses river Punnappuzha end enters into Punchakkolli Malavaram to meet the point Eco Sensitive Zone 15 (11°23'10.49"N, 76°23'30.39"E), from point Eco-Sensitive Zone 15 runs towards South-East to point Eco-Sensitive Zone 16 (11°22'26.82"N, 76°24'25.78"E), thence to point Eco-Sensitive Zone 17 (11°23'21.14"N, 76°25'56.58"E) towards North-East direction, then moving towards East to reach point Eco-Sensitive Zone 18 (11°23'14.13"N, 76°26'40.80"E), thence turning towards North-East and reaches to point Eco-Sensitive Zone 19 (11°23'37.28"N, 76°27'14.27"E), a point on interstate boundary with Tamil Nadu, near Wapshare Peak.
East	Eastern boundary of Eco-Sensitive Zone starts from point Eco-Sensitive Zone 19 (11°23'37.28"N, 76°27'14.27"E) which is lying on the interstate boundary and runs towards South-East side along the interstate boundary and joins with Protected area boundary on Wapshare Peak. The remaining Eastern part of Karimpuzha Wildlife Sanctuary is contiguous with Mukurti National Park of Tamil Nadu, hence no Eco Sensitive Zone is proposed.
South	Southern boundary starts from the point where Karimpuzha Wildlife Sanctuary, Silent Valley National Park and Kottachokkadan Malavaram of Karuvarakundu Forest Station meets together and runs towards North-West along the Southern boundary of Vadakkekotta Malavaram upto the point Eco-Sensitive Zone 1 (11°14'17.28"N, 76°23'10.56"E). The

	remaining Southern part of Karimpuzha Wildlife Sanctuary is contiguous with Silent Valley National Park, hence no Eco-Sensitive Zone is proposed.
West	The Western boundary starts from the point Eco-Sensitive Zone 1 (11°14'17.28"N, 76°23'10.56"E) runs towards North-East side through Vadakkekotta Malavaram & Puzhuthutti Malavaram of Chakkikuzhy Forest Station, then crossed river Cherupuzha and enters to Chakkikuzhy Malavaram of Chakkikuzhy Forest Station to reach the point Eco-Sensitive Zone 2 (11°15'17.61"N, 76°24'50.35"E), thence it runs towards North-West direction through the point Eco-Sensitive Zone 3 (11°16'11.28"N, 76°23'59.18"E), a point in river Cherupuzha, then crossing Cherupuzha the boundary proceeds to point Eco-Sensitive Zone 4 (11°16'40.57" N, 76°23'2.26"E), a point in Puzhuthutti Malavaram, thence runs straight towards North by crossing river Cherupuzha near Ezhuthukallu and enters into Karimpuzha Reserve of Nedumgayam Forest station to reach the Point Eco-Sensitive Zone 5 (11°17'45.59"N, 76°23'3.98"E), then moves towards North-East and Eastern direction to meet the point Eco-Sensitive Zone 6 (11°17'52.82"N, 76°23'51.16"E), from Eco-Sensitive Zone 6 proceeds towards North, crossing river Karimpuzha near Moochala and reaches to point Eco-Sensitive Zone 7 (11°18'41.57"N, 76°24'1.50"E), a point lying in Karimpuzha Reserve of Padukka Forest Station, then leads towards North-West direction through the point Eco-Sensitive Zone 8 (11°19'8.56"N, 76°23'19.63"E) and reaches to the point Eco-Sensitive Zone 9 (11°19'47.47"N, 76°22'38.81"E), thence moving towards North-East direction to reach Point Eco-Sensitive Zone 10 (11°20'15.87"N, 76°22'43.45"E) and again turning towards North-West to reach Point Eco- Sensitive Zone 11 (11°20'53.76"N, 76°22'23.16"E), thence the Eco-Sensitive Zone boundary is proceeding to the point Eco-Sensitive Zone 12 (11°21'43.78"N, 76°22'38.59"E) towards North-East, then turning North-West and crosses river Punnappuzha to reach point Eco-Sensitive Zone 13 (11°22'48.14"N, 76°22'4.72"E), a point which is in the boundary of Nellikuth Reseve and Gwaliyor Rayons vested forest of Nellikuth Forest Station, thence proceeds through Gwaliyor Rayons vested forest towards North-West and reaches to the point Eco- Sensitive Zone 14 (11°23'32.06"N, 76°22'25.84"E).

Annexure II A

Toposheet map of the Karimpuzha Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone

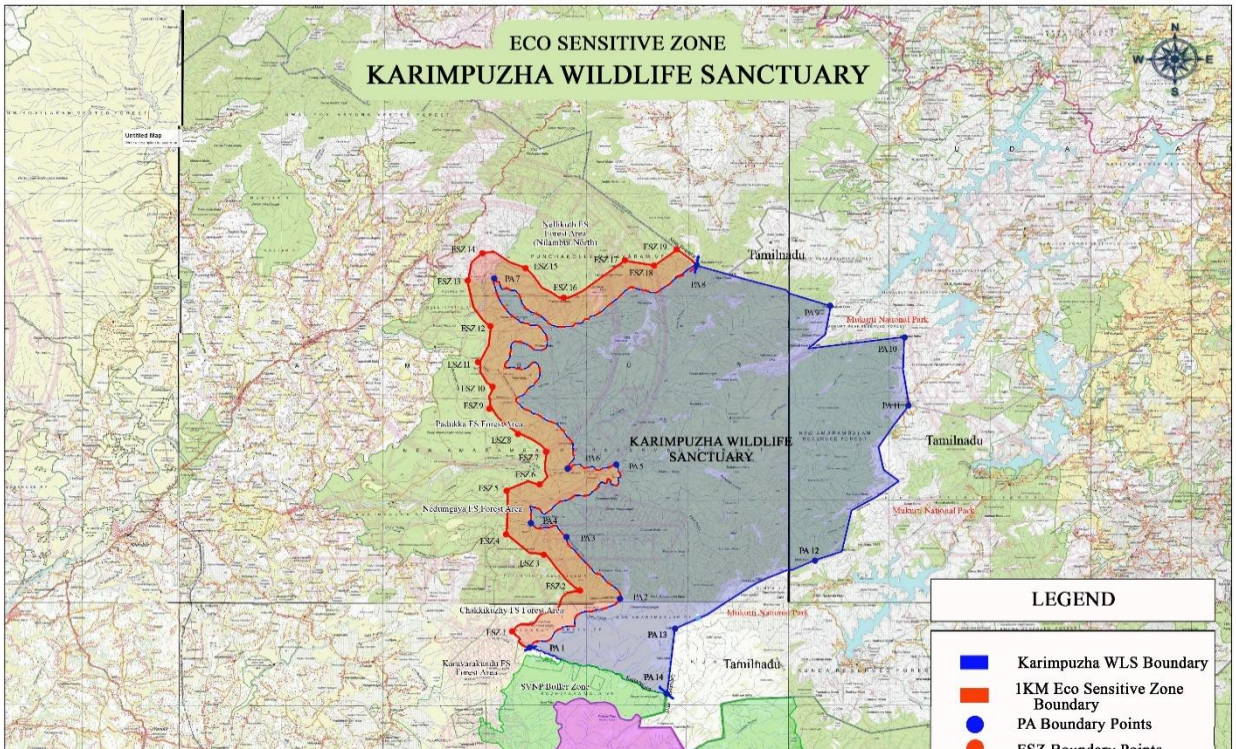

Annexure II B

Google map of the Karimpuzha Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone

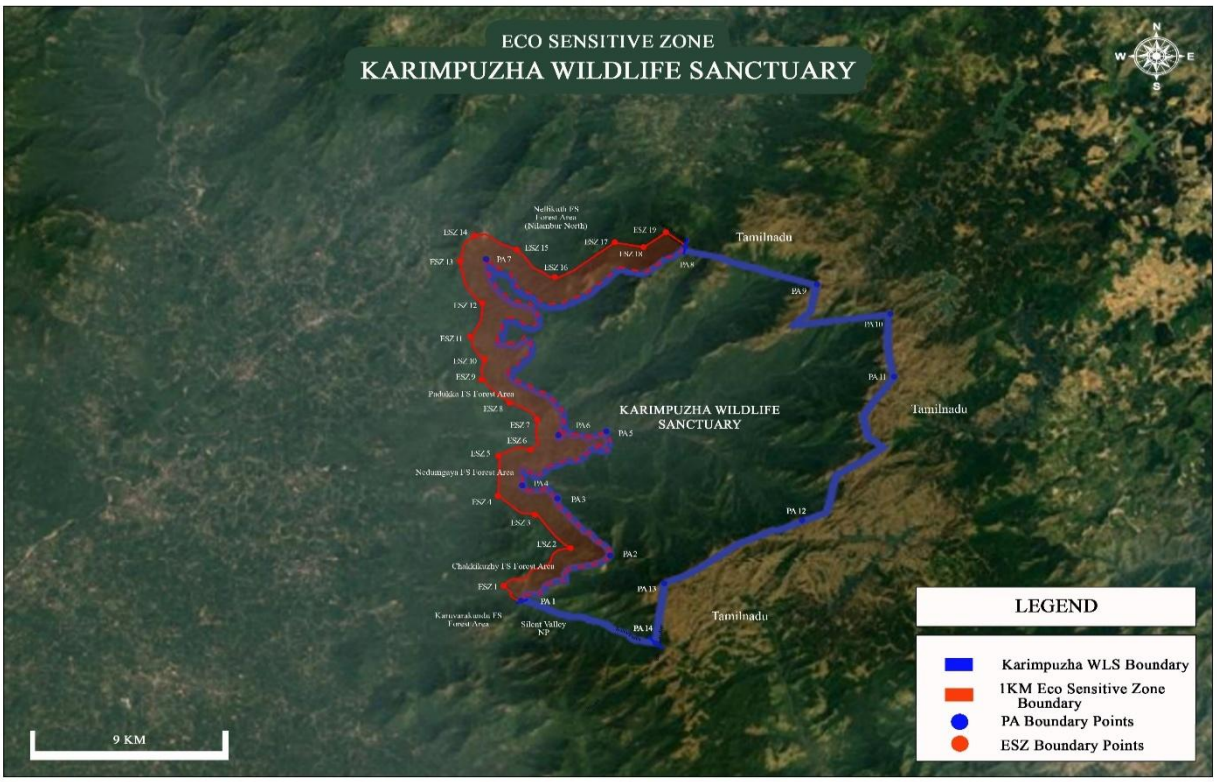

Annexure II C

Toposheet map of the Karimpuzha Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone with geo-coordinates

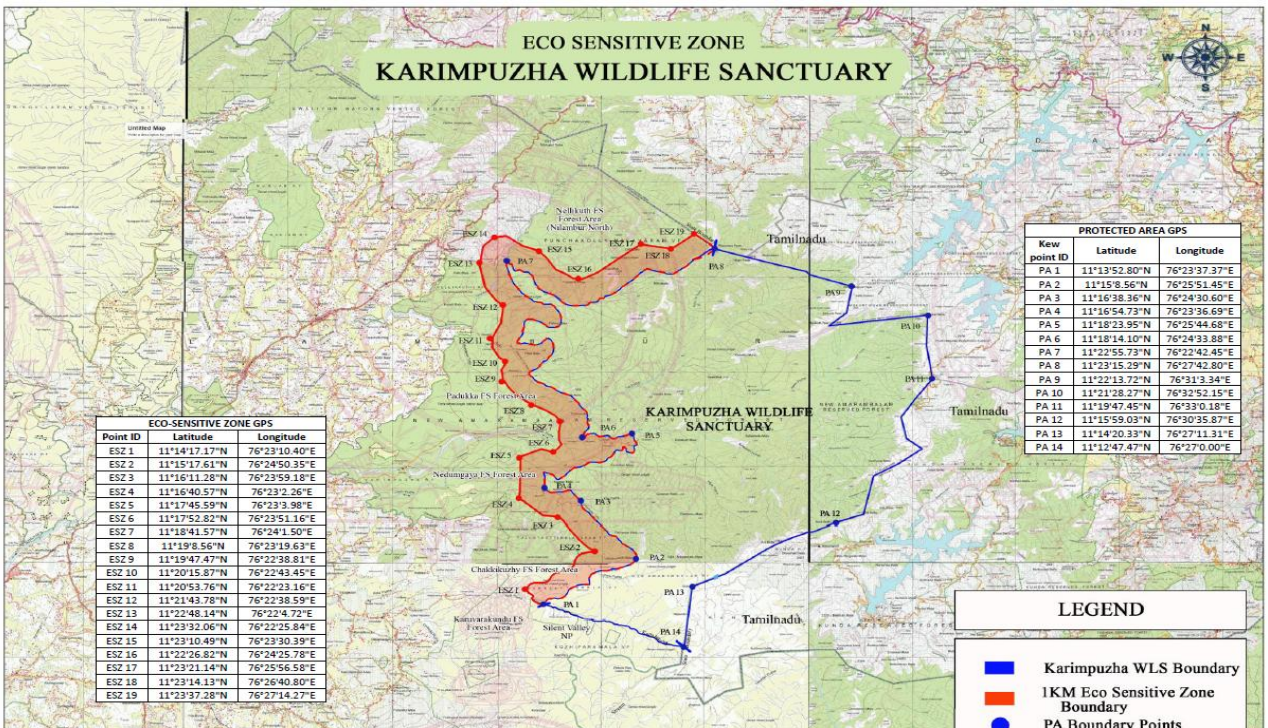

ECO-SENSITIVE ZONE GPS

Point ID	Latitude	Longitude
ESZ 1	11°14'17.17"N	76°23'10.40"E
ESZ 2	11°15'17.61"N	76°24'50.35"E
ESZ 3	11°16'11.28"N	76°23'59.18"E
ESZ 4	11°16'40.57"N	76°23'2.26"E
ESZ 5	11°17'45.59"N	76°23'3.98"E
ESZ 6	11°17'52.82"N	76°23'51.16"E
ESZ 7	11°18'41.57"N	76°24'1.50"E
ESZ 8	11°19'8.56"N	76°23'19.63"E
ESZ 9	11°19'47.47"N	76°22'38.81"E
ESZ 10	11°20'15.87"N	76°22'43.45"E
ESZ 11	11°20'53.76"N	76°22'23.16"E
ESZ 12	11°21'43.78"N	76°22'38.59"E
ESZ 13	11°22'48.14"N	76°22'4.72"E
ESZ 14	11°23'32.06"N	76°22'25.84"E
ESZ 15	11°23'10.49"N	76°23'30.39"E
ESZ 16	11°22'26.82"N	76°24'25.78"E
ESZ 17	11°23'21.14"N	76°25'56.58"E
ESZ 18	11°23'14.13"N	76°26'40.80"E
ESZ 19	11°23'37.28"N	76°27'14.27"E

PROTECTED AREA GPS

Kew point ID	Latitude	Longitude
PA 1	11°13'52.80"N	76°23'37.37"E
PA 2	11°15'8.56"N	76°25'51.45"E
PA 3	11°16'38.36"N	76°24'30.60"E
PA 4	11°16'54.73"N	76°23'36.69"E
PA 5	11°18'23.95"N	76°25'44.68"E
PA 6	11°18'14.10"N	76°24'33.88"E
PA 7	11°22'55.73"N	76°22'42.45"E
PA 8	11°23'15.29"N	76°27'42.80"E
PA 9	11°22'13.72"N	76°31'3.34"E
PA 10	11°21'28.27"N	76°32'52.15"E
PA 11	11°19'47.45"N	76°33'0.18"E
PA 12	11°15'59.03"N	76°30'35.87"E
PA 13	11°14'20.33"N	76°27'11.31"E
PA 14	11°12'47.47"N	76°27'0.00"E

Annexure- III

Table A. Geo-coordinates of Karimpuzha Wildlife Sanctuary

Kew point ID	Latitude	Longitude
PA 1	11°13'53.72"N	76°23'37.23"E
PA 2	11°15'8.56"N	76°25'51.45"E
PA 3	11°16'38.36"N	76°24'30.60"E
PA 4	11°16'54.73"N	76°23'36.69"E
PA 5	11°18'23.95"N	76°25'44.68"E
PA 6	11°18'14.10"N	76°24'33.88"E
PA 7	11°22'55.73"N	76°22'42.45"E
PA 8	11°23'15.29"N	76°27'42.80"E
PA 9	11°22'13.72"N	76°31'3.34"E
PA 10	11°21'28.27"N	76°32'52.15"E
PA 11	11°19'47.45"N	76°33'0.18"E
PA 12	11°15'59.03"N	76°30'35.87"E
PA 13	11°14'20.33"N	76°27'11.31"E
PA 14	11°12'47.47"N	76°27'0.00"E

Table B. Geo-coordinates of Eco-Sensitive Zone Boundary

Kew point ID	Latitude	Longitude
ESZ 1	11°14'17.28"N	76°23'10.56"E
ESZ 2	11°15'17.61"N	76°24'50.35"E
ESZ 3	11°16'11.28"N	76°23'59.18"E
ESZ 4	11°16'40.57"N	76°23'2.26"E
ESZ 5	11°17'45.59"N	76°23'3.98"E
ESZ 6	11°17'52.82"N	76°23'51.16"E
ESZ 7	11°18'41.57"N	76°24'1.50"E
ESZ 8	11°19'8.56"N	76°23'19.63"E
ESZ 9	11°19'47.47"N	76°22'38.81"E
ESZ 10	11°20'15.87"N	76°22'43.45"E
ESZ 11	11°20'53.76"N	76°22'23.16"E
ESZ 12	11°21'43.78"N	76°22'38.59"E
ESZ 13	11°22'48.14"N	76°22'4.72"E

ESZ 14	11°23'32.06"N	76°22'25.84"E
ESZ 15	11°23'10.49"N	76°23'30.39"E
ESZ 16	11°22'26.82"N	76°24'25.78"E
ESZ 17	11°23'21.14"N	76°25'56.58"E
ESZ 18	11°23'14.13"N	76°26'40.80"E
ESZ 19	11°23'37.28"N	76°27'14.27"E

Annexure IV

List of villages falling inside Eco-Sensitive Zone with geo-coordinates

Sl. No	Village Name	Type of Village	Tehsil / Taluk	District	GPS Co-ordinates	
					Longitude	Latitude
1	Vazhikadav	Vazhikadav	Nilambur	Malappuram	76°23'34.75"E	11°23'34.75"N
2	Moothedam	Moothedam	Nilambur	Malappuram	76°22'21.77"E	11°19'56.08"N
3	Karulai	Karulai	Nilambur	Malappuram	76°22'47.63"E	11°17'31.97"N
4	Amarambalam	Amarambalam	Nilambur	Malappuram	76°23'28.04"E	11°15'42.12"N

Annexure- V

PROFORMA OF ACTION TAKEN REPORT

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points and attached minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as separate Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

[F. No. 25/03/2025-ESZ]

VED PRAKASH MISHRA, Joint Secretary

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.09.10 14:11:25 +05'30'